

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्यालय आदेश

का0आ0सं0-5/अ0प्र0-01-38/2024 **466**

पटना, दिनांक:- **22-8-25**

सामान्य प्रशासन विभाग बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300 दिनांक 13.10.2023 द्वारा परिचारित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली-2023 के प्रावधानों के आलोक में राज्याधीन सेवा के अन्तर्गत बिहार अवर अभियंत्रण सेवा संवर्ग (ग्रामीण कार्य विभाग) के कनीय अभियंता को प्रोन्नति के पदानुक्रम में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के अन्तर्गत उच्चतर पद सहायक अभियंता का प्रभार विहित वेतनमान सहित प्रदान किये जाने हेतु निम्न रूप से विभागीय स्क्रीनिंग समिति गठित की जाती है:-

1.	अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	अध्यक्ष
2.	स्थापना के वरीय प्रभारी (विशेष सचिव/संयुक्त सचिव), ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
3.	सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मनोनीत पदाधिकारी	सदस्य
4.	अनु0 जाति/जनजाति समुदाय के पदाधिकारी के रूप में श्री किशोर कुमार, मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
5.	वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि के रूप में श्री आमिर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना	सदस्य
6.	अल्प संख्यक समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में श्री तारिक अनवर, तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, किशनगंज, प्रतिनियुक्त मुख्य अभियंता, अनुरक्षण एवं उन्नयन, पटना	सदस्य

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


22.8.25
(अभय झा)

ज्ञापांक-5/अ0प्र0-01-38/2024 **9091**

सरकार के संयुक्त सचिव
/पटना, दिनांक- **22-8-25**

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख के आप्त सचिव/सभी मुख्य अभियंता/सभी संयुक्त सचिव/सभी अधीक्षण अभियंता/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22.8.25
सरकार के संयुक्त सचिव